

उपखण्ड अधिकारी
नवमी (बुन्दी)

24.8.21 वकील चक्रवर्तन उपस्थित हैं अप्रार्थित
की ओर से शूलवाद में वकील श्री
सीताराम मागर ने वकायतनामा पेश
किया है पत्रावली वाले जवाब पत्र
दि० 1.12.21 को पेश है। प्रस्थायी निषेधाज्ञा
आगामी तारीख पेशी तक बकायी जाती है।

प्रमाण पत्र
संग अधिसूचना
के साथ
नोटिस जारी

02/10/2021 पत्रावली प्रशासन शांति के संग अधिसूचना
के तहत आज केम्प कोर्ट राजलावगा
में पेश हुई। अप्रार्थित सं. 1 व 2 के
केम्प कोर्ट नोटिस बाढ़ तामील संलग्न
है बावजूद सूचना के अप्रार्थित उपस्थित
नहीं हो प्रार्थी सं. 7 उपस्थित हैं प्रार्थना
पत्र पर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस
सुनी गई। प्रार्थना पत्र में दिनांक 26.7.21
को जारी प्रस्थायी निषेधाज्ञा तर्कसंगत
वाद पुष्ट की जाती है पत्रावली के अनुसार
होकर शूलवाद के साथ संलग्न है।
निर्णय सुनाया गया।

21/8/21
प्रार्थी सं. 7

उपखण्ड अधिकारी
नवमी (बुन्दी)

